

संख्या : 21020/1/2012-हिंदी

भारत-सरकार

गृह-मंत्रालय

समन्वय-प्रभाग

राजभाषा-शाखा

\*\*\*

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : दिसंबर 09, 2013

सेवा में,

श्री प्रवीण जैन,  
ए-103, आदीश्वर हाउसिंग सोसायटी,  
श्री दिगंबर जैन के पीछे, सेक्टर-9ए,  
वार्शी, नवी मुम्बई-400703

RTI-246/Dir(25-F)/13  
19/12/13

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का आवेदन ।  
महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 24.07.2013 के कार्यालय-ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई के माध्यम से दिनांक 29.07.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा शाखा में मिले आपके दिनांक 04.07.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सम्बद्ध बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना, इस मंत्रालय के दिनांक अक्टूबर 25/29, 2013 के समसंख्यक पत्र द्वारा आपको पहले ही भेजी जा चुकी है ।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 12.11.2013 के कार्यालय-ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई. के माध्यम से दिनांक 14.11.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा में मिले आपके दिनांक 06.11.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित ऑनलाइन आवेदन एम एच ओ एम ई/आर/2013/61633 के संदर्भ में इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सीधे जुड़े बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना निम्नानुसार, बिन्दु-वार प्रस्तुत की जा रही है :-

बिन्दु संख्या 04 : गृह-मंत्रालय में राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-नीति के पालन के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं । इस दिशा में समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करके गृह-मंत्रालय के कार्मिकों को राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा-नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-नीति से जुड़ी अपेक्षाओं की सम्यक् जानकारी करवाई जाती है । भारत-सरकार के गृह-मंत्रालय के राजभाषा-विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, गृह-मंत्रालय में मूल रूप से हिंदी में टिप्पणियां और प्रारूप लिखे जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नकद पुरस्कार-योजना और अधिक से अधिक डिक्टेशन हिंदी में दिए जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नकद पुरस्कार-योजना संचालित करके, गृह-मंत्रालय के कार्मिकों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस सिलसिले में प्रति वर्ष हिंदी-माह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन से भी कार्मिकों में हिंदी के प्रति और अधिक रुचि जगाकर, उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

बिन्दु संख्या 05 : गृह-मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान, जनवरी 27, 2012, जून 18, 2012 और मई 31, 2013 को गृह-मंत्रालय के सभी अधिकारियों, अनुभागों, डैस्कों और गृह-मंत्रालय के नियंत्रक के

पृष्ठ संख्या 02 पर जारी/-----

मि. नि. 18/12/13  
पा. 18/12/13  
नोट

- अधीन सभी सन्दर्भ और अधीनस्थ कार्यालय तथा सभी संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों को भारत-सरकार की राजभाषा-नीति के समुचित कार्यान्वयन के सिलसिले में राजभाषा-अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित), राजभाषा-विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, हिदायतों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा संसदीय राजभाषा-समिति की पहली उप समिति द्वारा गृह-मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के राजभाषाई निरीक्षण के दौरान दिए गए निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बारे में विशेष निदेश जारी किए गए ।

बिन्दु संख्या 06 : गृह-मंत्रालय की हिंदी-सलाहकार-समिति की पिछली बैठक 21.02.2012 को हुई थी । इस समिति का 03 वर्ष का कार्यकाल, 20.10.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, इस समय इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है । इस समिति की अगली बैठक, इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद की जाएगी । इस मंत्रालय की राजभाषा-कार्यान्वयन-समिति की पिछली बैठकें, दिनांक 07.02.2011, 27.06.2011, 23.08.2011, 10.10.2011, 14.03.2012, 19.06.2012, 21.09.2012, 10.10.2012, 24.02.2013, 10.05.2013 और 04.10.2013 को हुई । इस समिति की अगली बैठक शीघ्र होने वाली है ।

बिन्दु संख्या 07 : गृह-मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है । इसमें अधिसंख्य कार्मिक कार्यरत हैं और वे अपना काम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में कर रहे हैं । इस बारे में समेकित सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने कार्मिक अपना काम केवल अंग्रेज़ी में कर रहे हैं ।

बिन्दु संख्या 08 : गृह-मंत्रालय में सरकार की राजभाषा-नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः 01 सहायक निदेशक और 02 सहायक (01 पद रिक्त) नियुक्त हैं । फिर भी, 01 निदेशक, 02 उप निदेशक (दोनों पद रिक्त), 05 सहायक निदेशक और 12 वरिष्ठ अनुवादक (01 पद रिक्त) 05 कनिष्ठ अनुवादक (02 पद रिक्त) बहुत भारी मात्रा में सौंपे जाने वाले विविध विषयक कागजात के अत्यन्त समयबद्ध आधार पर अंग्रेज़ी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद के कार्य के निष्पादन के साथ-साथ, सरकार की राजभाषा-नीति के अनुपालन में भी सहायता करते हैं ।

बिन्दु संख्या 10 : इस मंत्रालय में कार्मिकों को उनके सामान्य भविष्य-निधि-खाते से अग्रिम/आहरण की मंजूरी, उनके अर्जित अवकाश के खाते में जमा अर्जित अवकाश में से अर्जित छुट्टियों की मंजूरी, यात्रा-भत्ता-अग्रिम की मंजूरी, छुट्टी-यात्रा-रियायत-भत्ता अग्रिम की मंजूरी, उन्हें देय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेने की अनुमति दिए जाने, उन्हें उनके और उनके परिवार के सदस्यों का इलाज करवाने पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दिए जाने आदि से संबंधित काम-काज प्रायः मूल रूप से हिंदी में किया जाता है ।


बिन्दु संख्या 13 : पिछले 02 वर्षों के दौरान, गृह-मंत्रालय द्वारा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में तिमाही-प्रगति-रिपोर्ट हरेक तिमाही की समाप्ति के बाद राजभाषा-विभाग को भेज दी गई । मार्च 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 05.06.2012 को, जून 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 20.09.2012 को, सितम्बर 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 17.01.2013 को, दिसम्बर 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 15.04.2013 को, मार्च 31, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को और जून 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को भेज दी गई । सितम्बर 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट के संकलन और समेकन की प्रक्रिया जारी है ।

बिन्दु संख्या 14 : गृह-मंत्रालय में प्रेस विज्ञप्तियां, मूल रूप से अंग्रेज़ी में तैयार की जाती हैं और उनका हिंदी में अनुवाद करवाकर, उन्हें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किया जाता है ।

बिन्दु संख्या 15 : गृह-मंत्रालय में प्रेस-विज्ञप्तियां, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रेस को भेजी जाती हैं ।

3. जहां तक आपके ऊपर संदर्भित सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के बिन्दु संख्या 01, 02 और 03 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के अवर सचिव, समन्वय-प्रभाग (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
4. आपके उपर्युक्त आवेदन का बिन्दु संख्या 09 इस मंत्रालय के निदेशक (प्रशासन/मुख्य सुरक्षा अधिकारी)-प्रशासन अनुभाग-III से संबंधित है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
5. जहां तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 11 और 12 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक-एक प्रति इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों को इन बिन्दुओं के संबंध में आपको सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भेजी जा रही है।
6. जहां तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 16 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के निदेशक (पुलिस कार्मिक) और उप सचिव (पुलिस-वित्त) से संबंधित प्रतीत होता है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है।
7. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, अपील प्राधिकारी, श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (समन्वय, लोक-शिकायत और प्रशासन), कक्ष संख्या-194, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, दूरभाष संख्या 011-23093178 हैं।

भवदीय,

  
(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

ऊपर संदर्भित आवेदन की प्रतिलिपि सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. अवर सचिव (समन्वय-प्रभाग) (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 01, 02 और 03 के संबंध में।
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी (विभागाध्यक्ष) तथा केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 09, 11 और 12 के संबंध में।
3. निदेशक (पुलिस-कार्मिक) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
4. उप सचिव (पुलिस-वित्त) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
5. गृह-मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार) संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11 और 12 के संबंध में।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

अवर सचिव (आर टी आई अनुभाग), नोर्थ ब्लॉक, को उनके दिनांक 12.11.2013 के ऊपर दर्शाए गए कार्यालय-ज्ञापन सं. ए.43020/01/2013-आर.टी.आई. के संदर्भ में।

  
(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

No.A-43920/01/2013-RTI  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

\*\*\*\*\*

New Delhi, Dated the 12/11/2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri/Smt. Praveen Jain .....  
..... under the Right to  
Information Act, 2005.

\*\*\*\*\*

The undersigned is directed to forward herewith an application dated 06/11/2013 under the RTI Act, 2005 of Shri Smt. Kum. Praveen Jain (received in this Ministry on 06/11/2013 /by transfer from Officer-in-Charge Division for providing information, as the requested information pertains to more closely related to the functions of the said Division. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

3. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- vide Receipt No. .... dated ...../...../2013 (copy enclosed) / not paid the fee since he claims to/belongs to the Below Poverty Line (BPL) Category.

Encl: As above.

  
( S. Samanta )

Under Secretary to the Govt. of India.

To The Director (Official Language)  
Ministry of Home Affairs  
West Block, New Delhi

Copy for information to:

Shri/Smt. Praveen Jain  
103-A, Adishwar, CHS, Sector - 9 A,  
Vashi, Navi Mumbai - 400703

(He/She is requested to contact the above-mentioned CPIO/Public Authority for further information in the matter).

## RTI REQUEST DETAILS

|                                     |                                                                   |                       |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Registration No. :                  | MHOME/R<br>/2013/61633                                            | Date of Receipt :     | 06/11/2013                  |
| Type of Receipt :                   | Online Receipt                                                    | Language of Request : | English                     |
| Name :                              | Praveen Jain                                                      | Gender :              | Male                        |
| Address :                           | 103A, Adishwar CHS, Sector-9A, Vashi, Navi Mumbai ,<br>Pin:400703 |                       |                             |
| State :                             | Maharashtra                                                       | Country :             | India                       |
| Phone No. :                         | Not Provided                                                      | Mobile No. :          | +91-9819983708              |
| Email :                             | <u>cs.praveenjain@gmail.com</u>                                   |                       |                             |
| Status(Rural/Urban) :               | Not Provided                                                      | Education Status :    | Not Provided                |
| Is Requester Below Poverty Line ? : | No                                                                | Citizenship Status    | Indian                      |
| Amount Paid :                       | 10                                                                | Mode of Payment       | Payment Gateway             |
| Mode(s) of information Supply :     | Hard Copy                                                         | Request Pertains to : | Yet to be assign to<br>CPIO |
| Information Sought :                | aavedan sanlagna hai                                              |                       |                             |

2/10  
1946/AT 2/13  
6/11

दिनांक ५ नवंबर २०१३

प्रति,  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन  
सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,  
कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूत्रवृद्धि का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था। मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश 27 अगस्त 1999, राजभाषा विभाग का निदेश 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रमों में भी निदेश देता है। फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिंदी में अलग बनाई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पावन संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की ओर उपेक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पत्र सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है,)
2. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा जबकि अर्मा वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएँ कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईटी के जैसी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी फाइलें (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएँगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए।
4. गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष कदम उठाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अर्धीनस्थ निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों को पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं राजभाषा कार्यन्वयन समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कार्मिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लक्ष्य भा रही निम्नलिखित भादों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग-अलग संख्या बताएँ:

क. पत्र-शीर्ष,

ख. अधिकारियों के आगतुफ-पत्र (विभाजित भादों),

ग. लिपिका,

घ. प्रवेश-पास,

ङ. रबर की मुहरें

च. अधिकारी नामपत्र

छ. अधिकारी-वर्गीक परिचय-पत्र

ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारम्भ

झ. ऑनलाइन फॉर्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत समग्रतः जारी १) प्रतिवेदन, २) प्रशासकीय आदेश, ३) कार्यालयीन जापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) एंटी फॉर्म की अलग-अलग कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों, अनुज्ञापत्रों और निविदा-प्रस्तुतियों की अलग-अलग कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-२ राजभाषा अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गईं?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्तियाँ मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विज्ञप्तियाँ किस किस को भेजी जाती हैं?

16. गृह मंत्रालय के कई अर्थात्स्थ कार्यालयों/व्यक्तियों/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटों राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारियों की शिक्षायात की जानी चाहिए?

आवेदक

ह/-

प्रवीण जैन

ए-103, आदीश्वर सांसाइटी

सेक्टर 9ए, वाशी

नवी मुंबई-४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन भुगतान

Reply of Sl. No. 246

आर टी आई मामला

सं.11/20034/20/2013-आई एस-11(पार्ट)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आई एस-1 प्रभाग (आई एस-11 डेस्क)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 10 जनवरी, 2014

सेवा में,

श्री प्रवीण जैन,  
ए-103, आदीश्वर हाउसिंग सोसाइटी,  
सेक्टर-9ए, वासी,  
नवी मुम्बई-400703  
महाराष्ट्र


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में।

कृपया अपने दिनांक 06.11.2013 के आर टी आई आवेदन (ऑनलाइन) का सदर्थ ले, जो इस कार्यालय में 19.12.2013 को प्राप्त हुआ। आपको यह अवगत कराया जाता है कि बिन्दु संख्या 11 आई एस-11 अनुभाग के रिकॉर्ड के अनुसार (अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2013 तक) के संबंध में सूचना निम्न रूप से है:-

- (क) हिन्दी/द्विभाषी में जारी पत्र - 34  
(ख) अंग्रेजी में जारी पत्र - 62

2. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के अंदर प्रथम अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

श्री राकेश सिंह,  
संयुक्त सचिव (आई एस-1),  
गृह मंत्रालय,  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

  
(राकेश मित्तल)

निदेशक (आई एस-1) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी



प्रतिलिपि:

श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक।

13/1  
Pl. Issue  
R&I  
Dated... 13 JAN 2014

13 JAN 2014  
गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक/आईएस-1 (नॉर्थ)  
नॉ. लो. सू. 10/र&I